

# कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद।

(वित्त कोषांग)

(आदेश)


प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक 6071 दिनांक 30.08.2017 द्वारा संशोधित प्रपत्र A,B,C में सम्बन्धित बैंक खातों में संचित राशि से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बहुत ऐसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का विभागीय बैंक खाता है, जिसमें काफी अधिक पैसा अभी भी जमा है। कुछ खाते ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति प्रपत्र A,B,C. में स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक- 8789 दिनांक, 17.11.2017, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1144 दिनांक 20.11.2017 एवं दिनांक 23.12.2017 को आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस में दिये गये निदेश के आलोक में कहना है कि 31/03/2017 तक अप्रयुक्त सभी राशि को दिनांक 31.12.2017 तक PL/PD या समेकित निधि में जमा कर दिया जाए, अन्यथा दिनांक 31.12.2017 के बाद कोषागार से सभी प्रकार का वित्तीय व्यवहार समाप्त कर दिया जायेगा।

बैंक खातों में संचित राशि की गहन समीक्षा हेतु उपरोक्त के आलोक में विभागवार निम्नवत तिथि निर्धारित की जाती है।

क्र० सं०	तिथि	समय	स्थान	सम्बन्धित विभाग जिनकी समीक्षा प्रस्तावित है
01	26.12.2017	02बजे अपराहन् से 04बजे अपराहन् तक	समाहर्ता के भवन योजना जिला	सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
02	27.12.2017	02बजे अपराहन् से 04बजे अपराहन् तक		शिक्षा विभाग
03	28.12.2017	02बजे अपराहन् से 04बजे अपराहन् तक		कल्याण विभाग / पी0एल0/पी0डी0 खाताधारक, प्रश्न पत्र एवं कन्सल मार्फत
04	29.12.2017	02बजे अपराहन् से 04बजे अपराहन् तक		स्वास्थ्य विभाग / तकनीकी विभाग
05	30.12.2017	02बजे अपराहन् से 04बजे अपराहन् तक		अन्य सभी कार्यालय

इस कोषांग में पूर्व की भाँति कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के अतिरिक्त जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद, श्री अजय कुमार CTO औरंगाबाद, श्री प्रमोद पाण्डेय(कार्यालय अधीक्षक DRDA) औरंगाबाद, सूरजमल प्रसाद सिंह(लिपिक, जिला नजारत) औरंगाबाद, श्री अजय कुमार(लिपिक, कोषागार कार्यालय) औरंगाबाद, सुनिल कुमार सिन्हा(लिपिक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) औरंगाबाद एवं श्री जितेन्द्र कुमार (लिपिक, जिला भू-अर्जन कार्यालय) औरंगाबाद रहेंगे। टंकण सम्बन्धित कार्यों के लिए श्री अवधेश कुमार, कार्यपालक सहायक अनुमण्डल कार्यालय(8092844129) औरंगाबाद एवं श्री दीपक कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद(9122445283) एवं राजीव कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद(9431675825) प्रतिनियुक्त रहेंगे जो निर्धारित तिथि को विभागवार विभागीय खातों की समीक्षा के समय सहयोग प्रदान करेंगे एवं प्रविष्टि कार्य करेंगे।

जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने विभागीय खातों में जमा राशि एवं जमा की गई राशि की गहन समीक्षा करते हुए अध्यतन प्रतिवेदन (प्रपत्र A,B,C के अनुरूप पूर्व प्रेषित) निर्धारित तिथि को समीक्षात्मक बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

  
जिला पदाधिकारी  
औरंगाबाद।


ज्ञापांक 56 / वि०को०, दिनांक 23/12/2017

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद / कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद / जिला लेखा पदाधिकारी, औरंगाबाद / अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी औरंगाबाद / अग्रणी बैंक प्रबंधक औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रतिनियुक्त कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभागों के निकासी एवं ब्ययन पदाधिकारी / कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहरणालय अवस्थित सभी शाखाओं / कार्यालयों के कार्यालय प्रधान / प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी  
औरंगाबाद।

क्र.सं.	नाम	पद	व्यवस्थापक
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...

...

...

  
...